



पत्रांक २७७०/ विन०विठ०म०-प्रथम/ गा०बाद

दिनांक २०-०१-२०२४

विषय:- विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
विराट वैभव, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/ साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाईप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनांक 21.01.2024 तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैंडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बड़ा टाईप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छापें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनांक भी छोटे से छोटे टाईप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० बाध्य होगा।

- स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे-बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई-निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई-निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्ययवस्था सुनिश्चित करें।
- प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विकटोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
- संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8-10 प्लाइट टाईप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- विज्ञापन प्रकाशित हेते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीज़नें का सत्यापन भुगतान नहीं किया जायेगा।
- टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें। विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाईप में “राष्ट्र हित में बिजली बचायें” का नारा तथा विद्युत चोरी का हेत्प लाइन नम्बर अवश्य दें।

संलग्नक:- विज्ञापन सामग्री

भवदीय

Mr. S. U. Patil (Maharashtra Electricity Distribution Company Ltd.)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक : २७७०/ विन०विठ०म०-प्रथम/ गा०बाद

दिनांक: २०-०१-२०२४

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रबन्ध निदेशक, प०विठ०नि�०लि०, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाइट पर डलवाने की कृपा करें।
- मुख्य अभियन्ता(वि०, गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद)
- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०विठ०नि�०लि०, मेरठ। (ई-मेल:-propvvnlmrt@gmail.com)
- सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

Mr. S. U. Patil (Maharashtra Electricity Distribution Company Ltd.)
अधीक्षण अभियन्ता



પણ્ચમાંચલ વિદ્યુત વિતરણ નિગમ લિઓ

અલ્યુકાલીન ઈ-નિવિદા સૂચના

ઈ-નિવિદા સંખ્યા:-53/2023-24/EUDC-1GZB

ધરોહર રાશિ :—રૂ0—1600.00

વિદ્યુત નગરીય વિતરણ ખણ્ડ—નવમ, ગાંબાદ કે કાર્યક્ષેત્ર મેં મૈ0 લેણ્ડક્રાફ્ટ ડેવલપર્સ પ્રા0લિ0, મહરૌલી, ગાંબાદ કે ભાર વૃદ્ધિ સમ્વન્ધિત સમસ્ત કાર્ય હેતુ આમંત્રિત કી જાતી હૈ, જો દિનાંક 05.02.2024 કો દોપહર 12:00 બજે તક મરી જા સકતી હૈ એવં 05.02.2024 કો 16:00 બજે વ ઉસકે પશ્ચાત ખોલી જાયेंગી।

અધોહસ્તાક્ષરકર્તા કો કિસી ભાગ કો નિરસ્ત કરને કા અધિકાર હોગા। અહૃતા સમ્વન્ધી વિસ્તૃત સૂચના, તિથિ, ધરોહર રાશિ, સંશોધન / વિસ્તાર તિથિ આદિ <https://etender.up.nic.in> એવં નિગમ કી વેબસાઇટ www.pvvnl.org પર દેખા જા સકતા હૈ।

અધીક્ષણ અભિયન્તા
વિદ્યુત નગરીય વિતરણ સણ્ડલ—પ્રથમ, ગાજિયાબાદ
Gandhinagar

“રાષ્ટ્રહિત મેં બિજલી બચાયે”



पत्रांक-

प०विंविंनिंलि०/तक०/प्र.अनु.-५(नो)/२०)

दिनांक : २०.०१.२०२४

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अधिकारी (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद-प्रथम के पत्रांक 452/य०अंग०त०/गा०बाद/सं०५०३ दिनांक 22.11.2023 द्वारा की गयी संतुष्टि के आधार पर अधीक्षण अधिकारी, विधुत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गिरिहावाद के पत्रांक संख्या 2193/विंविंनिंलि०-प्रथम गाजियाबाद दिनांक 21.11.2023 द्वारा मण्डल के अन्तर्गत विधुत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के कार्यालय में मैसरी लैण्डक्राफ्ट डेवलपर्स प्र०लि० खसरा नं० 128 एवं 193, उ०२४००-२४ मेहरौली, गाजियाबाद के भार दुर्घि (2400+5930) रामनगरी कार्य को पूर्ण जमा योजना मद्द में बाह्य एजेंसी के महिने से कराये जाने हेतु धनराशि रु० 1.60 लाख एवं जी०१०१००१० अधिकारिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति निदेशक (तक०) महोदय, प०विंविंनिंलि०, मेरठ द्वारा निम्नानुसार अधिकारी शर्तों पर प्रदान की गयी है-

१. उक्त कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान पूर्ण जमा योजना मद्द में उपभोक्ता द्वारा जमा करायी गयी धनराशि से किया जाएगा; पूर्ण धनराशि जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी अधिकारी (वितरण) का होगा।
२. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु व्यय की जाने वाली अधिकतम धनराशि (जी०१०१००१० सहित) प्रावक्कलन में प्रावानित स्थानीय अंश से अधिक न हो।
३. उक्त कार्य इ०-निविदा के माध्यम से ही कराया जायेगा।
४. कार्यालय प्रावक्कलन सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
५. जी०१०१००१० अंधवा ३३ के वी लाईन शिपिंग का कार्य में तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उत्तरान्तर ही कराया जायेगा।
६. उ०२४० पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या १०-कार्य/चौदह-पा०का०लि०/२०१९-३-के/२००० दिनांक ०२.०१.२०१९ द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जायेगा।
७. उक्त रामबन्ध में नियम द्वारा समय-समय पर नियत प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
८. उक्त कार्य को रेस्पो द्वारा नियंत्रित विशिष्टीकरण, मानकों एवं दरों के अनुरूप ही कराया जायेगा तथा कार्य का विश्लेषण करने के बाद उसे कम लागत में कराया जायेगा।
९. उक्त की उद्दित्यता सक्षम कार्य समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
१०. उक्त कार्य एवं दरों की जिम्मेदारी अधीक्षण अधिकारी (विं०) की होगी।
११. उक्त कार्य एवं दरों की वांछित सम्पूर्ण धनराशि (जी०१०१००१० सहित) जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी अधिकारी (वितरण) का होगा।
१२. सम्बन्धित अवर अधिकारी के द्वारा उपरोक्त कार्य का कार्यालय प्रावक्कलन बनाया जाएगा एवं तदनुसार मासिक लेखा ने आवश्यक प्रविष्टिया अंकित की जाएगी; इस प्रकार जमा योजना के कार्य में लगाई गई समस्त नियम के assets में शामिल की जायेगी।
१३. उ०२४० पावर कारपोरेशन के पत्रांक ४५१२ चौदह/पा०कालि०/२०१७-२०००-ठी-सी०-२०१७ दिनांक २७.११.२०१७ के अनुसार डिविजिट के कार्यों के प्रावक्कलन वी स्वीकृति से पूर्व उसकी तकनीकी रूप से सम्भव होने की स्वीकृति अगले उच्च अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है।
१४. विधुत प्रदाय सहित २००५ में निहित प्राविधानों एवं उ०२४०पा०का०लि० लघुनाड़ के दिशा निर्देशों तथा समय-समय पर उनके राशीयन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
१५. प्रावक्कलन उ०२४०पा०का०लि०, लखनऊ के दिशा निर्देश संख्या १५/उ०२४०प्र० (टेक्स) /जी०१०१००१० सेल/२०१९ दिनांक ०९.०४.२०१९ के अनुसूच सुनिश्चित किया जायेगा।
१६. प्रबन्ध निदेशक, उ०२४०पा०का०लि०, लखनऊ के आदेश सं० १०३३-कार्य/चौदह-पा०कालि०/२०२०-१३८-के/२०११ दिनांक २४.०८.२०२० के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(मनोज कुमार जैन)
अधीक्षण अधिकारी (तक०)

पत्रांक : ३३६५/प०विंविंनिंलि०/तक०/प्र.अनु.-५(नो)/२०) तदनिकांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निदेशक (विं०), प०विंविंनिंलि०, मेरठ।
२. मुख्य अधिकारी (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।
३. अधीक्षण अधिकारी-प्रथम (सा०प्र०), प०विंविंनिंलि०, मेरठ को स्वीकृत प्रावक्कलन की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से जुड़ा कि उक्त कार्य के लिये केन्द्रीयकृत सामग्री की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का काट करें।
४. आशय अधिकारी, विधुत भण्डार भण्डल, मेरठ को स्वीकृत प्रावक्कलन की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से जुड़ा कार्यवाही प्रदर्शन उत्तमाग्र से समर्पित कर सामग्री की व्यवस्था करने का काट करें।
५. आशय अधिकारी, विधुत नगरीय वितरण भण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।

सीसी:- निदेशक (तक०) महोदय, प०विंविंनिंलि०, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।

(मनोज कुमार जैन)
अधीक्षण अधिकारी (तक०)

टिप्पणी एवं आदेश

मुख्य अभियन्ता (वि०), गाठबाद क्षेत्र-गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया सादर संज्ञान में लाना है कि विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के अधीन विद्युत नगरीय वितरण छण्ड-नवम, गाठबाद के कार्यक्षेत्र में मै० लेण्डक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा०लि०, महरौली, गाठबाद के भार वृद्धि सम्बन्धित समस्त कार्य बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति निगम मुख्यालय, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं० 3365 दि० 20.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रदान की गयी। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य ई-निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु अल्पकालीन ई-निविदा प्रकाशन की अनुमति प्रदान करना चाहें। उपरोक्त कार्य कराये जाने में अनुमानित लागत रु० 1.60 लाख (जी०एस०टी० अतिरिक्त) आने की सम्भावना है।

अनुमानित
ई-निविदा प्रकाशन
हेतु अनुमानित

Sup^r (महफूज आलम)
Electricity Distribution Circle-I
अधीक्षण अभियन्ता,
Ghaziabad
वि०न०वि०स०-प्रथम, गाठबाद